समय बध्द

पत्र संख्या- विधि-1(3) ईट भट्टा समा0यो0-(2009-10)/ 2049/09/0099 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
दिनांक ::लखनऊ:: मार्च 09 ,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

ईट भट्टा निर्माताओं के लिए सीजन वर्ष 2009-10 (दिनांक 01-10-2009 से 30-09-2010 तक) के लिए समाधान योजना के निर्देश प्रसारित किये गये थे जिसमें योजना के परिपत्रित होने के 20 दिन के अन्दर भट्टा व्यवसाइयों को विकल्प प्रार्थना पत्र निर्धारित धनराशि के साथ जमा करने की व्यवस्था की गई थी। इस अवधि के पश्चात 15 दिन की अतिरिक्त अवधि में भी विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु इस अतिरिक्त अवधि में विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 15% वार्षिक ब्याज सहित देय समाधान राशि जमा करने की शर्त रखी गयी थी। दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत समाधान योजना से संबंधित भट्टों एवं योजना न अपनाने वाले भट्टों के संबंध में सूचना प्रारुप 1क, 1ख एवं प्रारुप 2 में दिनांक 20-03-2010 तक आपके स्तर से मुख्यालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 05-02-2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी तत्काल कार्यवाही करने / कराने के निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) उक्त परिपत्र में उल्लिखित प्रारुप 1क, 1ख एवं प्रारुप 2 की सूचनायें निर्धारित अवधि तक मुख्यालय अवश्य प्राप्त हो जायें।

(2) निर्धारित अवधि के अर्न्तगत समाधान योजना का विकल्प एवं देय समाधान राशि जमा न होने पर संबंधित भट्टों का प्रत्येक माह विस्तृत सर्वेक्षण अवश्य किया जाए जिसमें कच्ची एवं पक्की ईटों की संख्या (भट्टे के अन्दर एवं भट्टे के बाहर), फुकाई की स्थिति को मानचित्र में दिखाते हुए, कोयले के स्टाक की स्थिति, भराई ,पथाई, फुकाई एवं बिक्री से संबंधित विवरण अवश्य अंकित किये जाये।

(3) यदि समाधान योजना न अपनाने वाले ईट भट्टा व्यापारियों द्वारा नक्शों में दिखाई गई बिक्री एवं कर की धनराशि व्यापार के अनुरुप नहीं है तो उनके विरुध्द अस्थाई कर निर्धारण / अर्थदण्ड की कार्यवाही पर विचार किया जाए। जिन समाधान योजना न अपनाने वाले भट्टा व्यापारियों द्वारा नक्शा एवं कर जमा नहीं किया गया हो, उनके विरुध्द भी प्राथमिकता से अस्थाई कर निर्धारण आदि की कार्यवाही की जाये।

(4) समाधान योजना की शर्तो में यह भी व्यवस्था की गई है कि नये खुदे भट्टों में फुकाई 31 मार्च के पश्चात प्रारम्भ करने पर पूरे सीजन वर्ष के लिए निर्धारित समाधान धनराशि का 75% के

---2

बराबर देय होगा। इस आशय की सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय भट्टों में यद्यपि फुकाई प्रारम्भ हो चुकी है अथवा दिनांक 31-03-2010 के पूर्व ही प्रारम्भ हो जायेगी परन्तु समाधान राशि बचाने के उद्देश्य से इन भट्टों में फुकाई दिनांक 31-03-2010 के पश्चात दिखाया जाना संभावित है। अत:समाधान योजना का विकल्प न प्राप्त होने वाले सभी भट्टों की जॉच प्रत्येक परिस्थिति में दिनांक 31-03-2010 के पूर्व सुनिश्चित कर ली जाए।

(5) समाधान योजना में सीजन वर्ष के दौरान नये खुदे भट्टों में फुकाई प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर समाधान योजना हेतु प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे भट्टों के संबंध में भी फुकाई एवं समाधान राशि निश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह स्थलीय जॉच तब तक सुनिश्चित की जाए जब तक उनके समाधान प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होते और यदि इनके समाधान प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होते तो प्रत्येक माह स्थलीय जॉच करते हुए देय जमा कर व टर्नोवर वास्तविक व्यापारिक स्थिति के अनुसार न होने पर अस्थाई कर निर्धारण आदि की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए।

(6)निर्धारित अवधि तक जिन भट्टा व्यवसाइयों द्वारा समाधान योजना विकल्प प्रार्थना पत्र एवं देय धनराशि जमा नहीं की गई, उनकी सूची निम्न प्रारुप में दिनांक 20-03-2010 तक मुख्यालय उपलब्ध करा दी जाए।

जोन का नाम	भट्टा व्यापारी का नाम व पता	पंजीयन प्रभावी होने का दिनांक	पायों की संख्या
1	2	3	4

कृपया उक्त निर्देशों का समयबध्द तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

8/3/10

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।